Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भिवाड़ी, अलवर में पुलिस थाना शेखपुर अहीर का थानाधिकारी 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज बुधवार को भिवाड़ी, अलवर में कार्यवाही करते हुये रामकिशोर उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, पुलिस जिला भिवाड़ी, अलवर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में समझौता करवाने तथा एफ.आर. लगाने की एवज में रामकिशोर उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, पुलिस जिला भिवाड़ी, अलवर द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक, पुलिस निरीक्षक श्रीमती प्रीती चेची, श्री भंवरसिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामकिशोर पुत्र श्री पूरणमल जाट निवासी ग्राम काठ, ढाणी चोबाड़िया, शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी मकान नं0 153, तिरूपति फ्लैट्स कॉलोनी, पुलिस थाना करधनी, कालवाड़ रोड़, जयपुर हाल उपनिरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, पुलिस जिला भिवाड़ी, अलवर को परिवादी से **50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।